



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय राज्य स्वास्थ्य समिति



क्रमांक/एन.एच.एम/सं.वि/2021/८८७४

भोपाल, दिनांक 8/04/2021

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :-नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के प्रबंधन हेतु मोबिलिटी सपोर्ट।

- संदर्भ :- 1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवा का आदेश क्रं. अ.प्र/2020/534 दिनांक 18.04.2020।
2. कार्यालय का पत्र क्रमांक/एमएचएम/2020/वित्त/5810 भोपाल, दिनांक 20.03.2020।
3. कार्यालय का पत्र क्रमांक/एनएचएम/सं.वि/2021/4911, दिनांक 18.03.2021।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के माध्यम से जिलों में कोविड-19 के प्रबंधन हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिये निर्देश जारी किये गये थे। पूर्व वर्षों में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ एवं मिशन कार्यालय जारी किये गये समस्त आदेश/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के प्रबंधन हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. शहरी क्षेत्र में आरबीएसके कार्यक्रम के लिये स्वीकृत समस्त मोबाईल टीम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति ब्लॉक एक मोबाईल टीम के लिये स्वीकृत वाहनों को कोविड-19 के नियंत्रण के लिये संलग्न किया जाता है। जिलावार वाहनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इन वाहनों के लिये आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से अनुबंधित दरों पर भुगतान की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दी जाती है।
2. इस व्यवस्था पर होने वाला व्यय पीआईपी के नवीन एफएमआर कोड 2.2.3 के अंतर्गत गतिविधि क्रं. A 5.1.3.a मोबिलिटी सपोर्ट फॉर आरबीएसके मोबाईल टीम (कमिटेड) में विकलनीय होगा। शेष वाहनों का उपयोग पूर्ववत आरबीएसके कार्यक्रम के लिये किया जाये एवं संबंधित व्यय एफएमआर कोड 2.2.3 के अंतर्गत गतिविधि क्रं. A 5.1.3 से किया जाये।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त भोपाल एवं इंदौर जिले में 5 एएलएस एवं 5 बीएलएस, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रतलाम, खरगौन, ग्वालियर, बैतूल के लिये 3 एएलएस एवं 3 बीएलएस वाहन तथा शेष जिलों के लिये 1 एएलएस एवं 1 बीएलएस वाहन कुल 148 एम्बुलेंस वाहनों को किराये पर लेने की अनुमति दी जाती है। किराये पर लिये जाने वाले प्रत्येक एएलएस एवं बीएलएस वाहन के लिये प्रतिमाह 2000 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करते हुये रु. 22.19 प्रति किलोमीटर की दर पर भुगतान की अनुमति दी जाती है। यह व्यय भी नवीन एफएमआर कोड 2.2.3 के अंतर्गत गतिविधि क्रं. A 5.1.3.a मोबिलिटी सपोर्ट फॉर आरबीएसके मोबाईल टीम (कमिटेड) में विकलनीय होगा।
4. किसी भी परिस्थिति में उपरोक्तानुसार स्वीकृत 401 वाहन एवं 148 एम्बुलेंस वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहन संलग्न नहीं किये जाये। यदि निर्देशों का उल्लंघन करते हुये जिलों में अतिरिक्त वाहन संलग्न किये जाते हैं, तो उनका भुगतान एनएचएम से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार जिलेवार निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में वाहनों को कोविड-19 के प्रबंधन के लिये संलग्न नहीं किया जाये।
(अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेशित)

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
एन.एच.एम

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. श्रीमति वीना सिन्हा, अपर संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
7. समस्त सिविल सर्जन, मध्यप्रदेश।
8. उपसंचालक, आई.टी, एनएचएम मध्यप्रदेश की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम

RBSK HR Information Format

8

S.No.	District	Blocks	Approved Rural MHT	Approved Urban MHT	No of Teams/ Mobility required for Covid Screening		
					Rural	Urban	Total
1	Agar	4	7	1	3	1	4
2	Alirajpur	6	8	1	4	1	5
3	Anuppur	4	6	1	3	1	4
4	Ashoknagar	4	8	1	4	1	5
5	Balaghat	10	20	2	10	2	12
6	Barwani	7	14	2	7	2	9
7	Betul	10	19	2	9	2	11
8	Bhind	6	12	2	6	2	8
9	Bhopal	2	4	12	2	12	14
10	Burhanpur	2	4	1	2	1	3
11	Chhatarpur	8	15	2	7	2	9
12	Chhindwara	11	21	3	10	3	13
13	Damoh	7	14	2	7	2	9
14	Datia	3	6	1	3	1	4
15	Dewas	6	12	2	6	2	8
16	Dhar	13	23	2	11	2	13
17	Dindori	7	9	1	4	1	5
18	Guna	5	10	2	5	2	7
19	Gwalior	4	8	6	4	6	10
20	Harda	3	6	1	3	1	4
21	Hoshangabad	7	14	2	7	2	9
22	Indore	4	7	7	3	7	10
23	Jabalpur	7	13	8	6	8	14
24	Jhabua	6	11	1	5	1	6
25	Katni	6	11	2	5	2	7
26	Khandwa	7	11	2	5	2	7
27	Khargone	9	15	2	7	2	9
28	Mandla	9	12	1	6	1	7
29	Mandsaur	5	10	1	5	1	6
30	Morena	7	14	3	7	3	10
31	Narsinghpur	6	12	1	6	1	7
32	Neemuch	3	6	1	3	1	4
33	Panna	5	10	1	5	1	6
34	Raisen	7	12	1	6	1	7
35	Rajgarh	6	12	2	6	2	8
36	Ratlam	6	11	3	5	3	8
37	Rewa	9	18	5	9	5	14
38	Sagar	11	20	5	10	5	15
39	Satna	8	16	3	8	3	11
40	Sehore	5	9	2	4	2	6
41	Seoni	8	14	1	7	1	8
42	Singrauli	3	6	1	3	1	4
43	Shahdol	5	9	2	4	2	6
44	Shajapur	4	8	1	4	1	5
45	Sheopur	3	5	1	2	1	3
46	Shivpuri	8	16	2	8	2	10
47	Sidhi	5	9	1	4	1	5
48	Tikamgarh	6	12	2	6	2	8
49	Ujjain	6	12	6	6	6	12
50	Umaria	3	5	1	2	1	3
51	Vidisha	7	14	2	7	2	9
		313	580	120	281	120	401

[Handwritten Signature]